प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

रिट अपील क्रमांक 117/2011

हरिशंकर मांझी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय

विचारार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

दिनांक 09/02/2012 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

-

युगलपीठ: **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

रिट अपील क्रमांक 447/2011

अपीलार्थी/
याचिकाकर्ता

हरिशंकर मांझी, पिता श्री पंडित राम मांझी, आयु लगभग 48 वर्ष, व्यवसाय- भूतपूर्व प्रधान आरक्षक क्रमांक 288, परिवहन चेक-पोस्ट पाटेकोहरा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी/
उत्तरवादी

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा: सचिव, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
   अब छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
   अब सचिव, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर (छ.ग.)
4. पुलिस अधीक्षक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2 की उपधारा (1) के तहत रिट अपील)

उपस्थित:

श्री राघवेंद्र प्रधान, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी की ओर से ।

निर्णय

(दिनांक 09.02.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,** द्वारा दिया गया :

(1) यह अपील, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1860/2005 में पारित दिनांक 1 दिसंबर 2009 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, यह अपील, पुनरीक्षण याचिका संख्या 19/2010 में पारित दिनांक 28 फरवरी 2011 के आदेश के विरुद्ध भी प्रस्तुत की गई है।

(2) मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

अपीलार्थी पुलिस विभाग में एक आरक्षक था। उसे दिनांक 10.02.1992 के आदेश द्वारा परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात, दिनांक 25.03.1996 के एक बाद के आदेश द्वारा, अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग में वापस भेज दिया गया। अपीलार्थी ने पुलिस विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं किया और वह लगातार अनुपस्थित रहा। अतः दिनांक 23.05.1996 को अपीलार्थी को एक नोटिस भेजा गया। अपीलार्थी को यह नोटिस 11.10.1996 को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने यह टिप्पणी की कि उसका चिकित्सीय उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने के बाद वह अपनी कर्तव्य पर उपस्थित होगा। अनधिकृत अनुपस्थिति, आदेश की अवहेलना और विभाग को कोई जवाब न देने के आरोपों पर, दिनांक 15.04.1997 को अपीलार्थी को एक आरोप-पत्र भेजा गया। आरोप-पत्र अपीलार्थी के घर पर चस्पा किया गया था, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। विभागीय जांच में शामिल होने के लिए अपीलार्थी को कई नोटिस भेजे गए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, जांच अधिकारी ने कार्यवाही की और दिनांक 09.03.1998 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसमें तीनों आरोप सिद्ध पाए गए। जांच प्रतिवेदन/नोटिस अपीलार्थी को दिनांक 10.04.1998 को भेजा गया था। अपीलार्थी ने इसे लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नोटिस उसके निवास पर चिपका दिया गया। इन सबके बावजूद, जब अपीलार्थी जांच में शामिल होने नहीं आया, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 28.04.1998 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित कर दिया, जिसे अपील में दिनांक 22.07.1998 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया। अपीलार्थी ने इन आदेशों की वैधता को रिट न्यायालय में चुनौती दी। रिट न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को पुलिस विभाग में नई पदस्थापना के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था, इसलिए वह नए पदस्थापना स्थल मे कार्यभार ग्रहण नहीं कार सका और न ही विभागीय जांच में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भाग ले सका। रिट न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी को दिनांक 30.03.1996 को कार्यमुक्त कर दिया गया था और उसके बाद उसने नई जगह पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए अपीलार्थी का तर्क सही नहीं था। सूचना मिलने के बावजूद अपीलार्थी जांच में अनुपस्थित रहा। जांच अधिकारी ने अपीलार्थी को कई अवसर दिए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए जांच अधिकारी के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई। रिट याचिका खारिज होने के बाद, अपीलार्थी ने पुनरीक्षण याचिका संख्या 19/2010 दायर की, जिसे भी रिट न्यायालय ने खारिज कर दिया।

(3) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र प्रधान ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को परिवहन विभाग से कार्यमुक्त नहीं किया गया था, इसलिए वह पुलिस विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, अतः इस आधार पर पूरी जांच प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है।

(4) इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान उप-महाधिवक्ता श्री ए.एस. कछवाहा ने इन तर्कों का विरोध किया और रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और रिट अपील, रिट याचिका तथा पुनरीक्षण याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(6) सर्वप्रथम, हम इस तरह के मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार करेंगे।

(7) ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम परमानंद (एआईआर 1989 एससी 1185)*** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभीनिर्धारित किया कि अनुशासनात्मक मामलों या सजा में हस्तक्षेप करने का अधिकरण का अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र के समान नहीं हो सकता। अधिकरण जांच अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वे मनमाने या पूरी तरह से विकृत न हों।

(8) ***स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम थिरु के.वी. पेरुमल एवं अन्य (1996) 5 एससीसी 474*** में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभीनिर्धारित किया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप सिद्ध हुए या नहीं, यह प्रश्न न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण विभागीय अधिकारियों के ऊपर कोई अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। इसी तरह के विचार ***गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु बनाम एस. वेल राज (एआईआर 1997 एससी 900) और रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम भोला नाथ सिंह एवं अन्य (एआईआर 1997 एससी 1908)*** में दोहराए गए थे।

(9) ***बी.सी. चतुर्वेदी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (1995) 6 एससीसी 749*** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभीनिर्धारित किया कि: "न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की समीक्षा है जिससे निर्णय लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष न्यायालय की दृष्टि में अनिवार्य रूप से सही हो। जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरोपों पर जांच की जाती है, तो न्यायालय/अधिकरण का संबंध यह निर्धारित करने से है कि क्या जांच कार्यवाही एक सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी या क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया गया है। जहाँ निष्कर्ष या परिणाम 'कुछ साक्ष्य' पर आधारित होते हैं, वहां जांच करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी के पास तथ्य या निष्कर्ष तक पहुँचने का क्षेत्राधिकार, शक्ति और अधिकार होता है। लेकिन वह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से कुछ साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम लागू होते हैं और न ही उसमें परिभाषित तथ्य या साक्ष्य के प्रमाण के नियम। साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय/अधिकरण के समक्ष तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब प्राधिकारी साक्ष्य को स्वीकार कर लेता है और निष्कर्ष को उससे समर्थन मिलता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह मानने का हकदार होता है कि दोषी अधिकारी आरोप का दोषी है। तथ्यों का एकमात्र निर्णायक अनुशासनात्मक प्राधिकारी ही होता है। जहाँ अपील प्रस्तुत की जाती है, वहां अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने या दंड की प्रकृति की समीक्षा करने की समान शक्ति होती है। न्यायालय/अधिकरण अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और साक्ष्य पर अपने स्वयं के स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। न्यायालय/अधिकरण वहां हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ: प्राधिकारी ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत तरीके से की हो। या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों के उल्लंघन में की हो। या जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष या परिणाम 'शून्य साक्ष्य' पर आधारित हो। यदि निष्कर्ष या परिणाम ऐसा हो जिस पर कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति कभी नहीं पहुँच सकता था, तो न्यायालय/अधिकरण निष्कर्ष या परिणाम में हस्तक्षेप कर सकता है, और अनुतोष को इस तरह से ढाल सकता है ताकि वह उस मामले के तथ्यों के लिए उपयुक्त हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय या अधिकरण, एक उचित विभागीय जांच में विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठते हैं। उच्च न्यायालय जांच अधिकारी के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि वे मनमाने या पूरी तरह से विकृत न हों। दूसरे शब्दों में, रिट अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय का सरोकार आम तौर पर जांच

अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से नहीं होता, बल्कि मुख्य रूप से 'निर्णय लेने की प्रक्रिया' से होता है। परंतु, यदि निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन, विकृत या मनमाना है, तो यह उन अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का आधार बन सकता है।

(11) वर्तमान मामले में, दो पत्र अभिलेख पर लाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि अपीलार्थी को 30.03.1996 को विधिवत कार्यमुक्त कर दिया गया था और उसकी रवानगी को रोज़नामचा-सान्हा नंबर 347/30.3.96 में दर्ज किया गया था। हम उन पत्रों को यहाँ उद्धृत करना चाहते हैं :

"कार्यालय परिवहन चेक पोस्ट पाटेकोहरा, जिला राजनांदगांव

क्रमांक 169/96 दिनांक 30/3/96

प्रति,

श्री हरिशंकर मांझी "प्रा. आरक्षक"
ग्राम जलपुर
पोष्ट आ. केटुआ
थाना तह. सरायपाली
जिला रायपुर (म०प्र०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विषय:- पैतृक विभाग में वापसी बाबत् ।

सन्दर्भ:- क्रमांक 2144/प्रर्व/टी.सी./96 ग्वालियर दिनांक 25/3/96

उपरोक्त संदर्भित आदेश के तहत आपकी प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण पैतृक विभाग "पु०मु० भोपाल" को वापसी की गयी है। जिसके पालन में आपको परिवहन चेक पोस्ट पाटेकोहरा से दिनांक 30/3/96 के अपरान्ह रो.सा. 347-30/3/96 पर भारमुक्त किया गया है ।

अत: आप तत्काल अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग से भारमुक्त होकर पु०मु० भोपाल में अपनी उपस्थिति दें।

सही/—
प्रभारी अधिकारी
परिवहन चेक पोस्ट, पाटेकोहरा,
जिला राजनांदगांव (म०प्र०)

प्रतिलिपि:- 1. श्रीमान उप. परि. आयुक्त (प्रर्व) म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. श्रीमान अति. क्षे. परिवहन अधिकारी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

सही/—

प्रभारी अधिकारी
परिवहन चेक पोस्ट, पाटेकोहरा,
जिला राजनांदगांव (म०प्र०)

<u>कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग, म.प्र.</u>

क्रमांक: 1628 / 97 दुर्ग, दिनांक 25/11/97

प्रति,

श्री हरिशंकर मांझी,
प्रधान आरक्षक कं. 506
मुकाम-कसडोल पो.आ. किसडी
व्हाया-सरायपाली जिला- रायपुर,

विषय:- भारमुक्त के आदेश बाबत्।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.10.97, आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.10.97 एवं आपका आवेदन पत्र दिनांक 28.10.97 के संदर्भ में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

=====00=====

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के तारतम्य में आपको सूचित किया जाता है कि, परिवहन चेक पोस्ट पाटेकोहरा के पत्र क्रमांक 169/96 दिनांक 30.3.96 के द्वारा आपको भारमुक्त किया गया है।

दिनांक 22.1.96 से अनुपस्थिति के कारण उक्त आदेश आपके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था।

आपके सन्दर्भ के लिए भारमुक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

सही/—

संलग्न- भारमुक्त पत्र की छाया प्रति

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
दुर्ग म०प्र०

(12) इन्हीं सामग्रियों के आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के उस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि प्रत्यावर्तन का आदेश जारी होने के बाद उसे पुलिस विभाग में शामिल होने के लिए परिवहन विभाग से कभी कार्यमुक्त नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह भी नहीं बता सके कि अपीलार्थी दिनांक 30.06.1996 के बाद कहाँ कार्यरत था। जांच अधिकारी ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 30.03.1996 को परिवहन विभाग से कार्यमुक्त किया गया था और यह रवानगी रोज़नामचा-सान्हा (प्रदर्श पी-9) की प्रविष्टि तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों से सिद्ध हुई है।

अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त सामग्रियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी को पुलिस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था अतः विभागीय कार्यवाही के निष्कर्षों को विकृत या मनमाना नहीं कहा जा सकता। हमारी राय है कि रिट न्यायालय इस आधार पर अपीलार्थी के तर्क को अमान्य करने में पूरी तरह से न्यायोचित थी।

(13) जहाँ तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित तर्क का प्रश्न है, हम यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें नोटिस की तामील नहीं हुई थी और जांच अधिकारी ने सीधे जांच कार्यवाही कर दी। हम अभिलेख से पाते हैं कि आरोप-पत्र अपीलार्थी के निवास पर चस्पा किया गया था। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब जांच अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और अपीलार्थी को जांच की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विभिन्न तिथियों (30.08.1996 से 05.11.1997 के बीच) पर कई नोटिस जारी किए। एक अवसर पर अपीलार्थी ने यह लिखकर दिया कि वह क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के अधीन पदस्थ है, इसलिए यदि नोटिस क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के माध्यम से आएगा, तभी वह उसका जवाब देगा। इससे पता चलता है कि अपीलार्थी को जांच की पूरी जानकारी थी और वह स्वयं जांच में उपस्थित नहीं हुआ। जांच अधिकारी ने नोटिस की इस तरह की अस्वीकृति को 'तामील' मानते हुए जांच जारी रखी, जिसमें हमें कुछ भी गलत नहीं लगता। केवल यही नहीं, जांच पूरी होने के बाद जब विशेष संदेशवाहक (आरक्षक प्रफुल्ल कुमार) के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की प्रति भेजी गई, तो अपीलार्थी ने उसे लेने से इनकार कर दिया; फलस्वरूप उक्त आरक्षक को दो गवाहों (शशि साहू और तेज राम) की उपस्थिति में उसे अपीलार्थी के घर पर चस्पा करना पड़ा। इस संबंध में एक ज्ञापन (इनकारी-चस्पा) भी संबंधित अधिकारी को भेजा गया था।ज्ञापन की एक प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 74 पर अभिलेख मे दर्ज की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का मामला नहीं है। रिट न्यायालय ने इन सभी पहलुओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिंडिकेट बैंक बनाम जनरल सेक्रेटरी सिंडिकेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन एवं अन्य (2000) 5 एससीसी 65** और ***इंद्र भानु गौर बनाम कमेटी, मैनेजमेंट ऑफ एम.एम. डिग्री कॉलेज* एवं अन्य (2004) 1 एससीसी 281** के मामलों में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विचार किया है। हमें रिट न्यायालय के इन निष्कर्षों में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखती।

(15) पूर्वोक्त कारणों से, हमें इस रिट अपील में कोई सार नजर नहीं आता। अतः यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध मे कोई आदेश नहीं दिया जा रहा।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur